न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 203 / 2016
प्रविष्टि दिनांकः— 20—10—2016

बगुला पत्नि नानगा जाति लुहार निवासी रीण्डल्या रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारासिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार टोडारायसिंह
दिनांक 20—09—2016 मिसल संख्या 1859 / 16

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जूगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 22—12—2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह ने उनके आदेश दिनांक 20.09.2016 द्वारा ग्राम रीण्डल्या रामपुरा तह0 टोडारायसिंह के खसरा नम्बर 1060 / 1 रकबा 0.15 हेक्टर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2073 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 53 / —रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस बुलवाया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 20.09.2016 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ओर ना ही उक्त आराजीयात ख0नं0 1060 रकबा 0.15 है0 पर कब्जा किया है, अपीलाण्ट को निर्णय से पूर्व सुनवाई का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, अपीलाण्ट के विरूद्व गलत रूप से उक्त कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलाण्ट पर कोई विधि अनुरूप तामील भी नहीं हुई है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है तथा पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योकिं निर्णय का एक निर्धारित प्रोफार्म तैयार कर उसी पर आदेश पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई और न मौके का निरीक्षण किया, उक्त आराजीयात पर विगत कई वर्षो से जानवरो के बांधने हेतु बाडे/कच्चे भुसारे बना रखे है जिनमें मात्र जानवरो को बांधा जाता है, उक्त आराजीयात चरागाह के रूप में ही काम आती है, अपीलाण्ट के विरूद्व पटवारी हलका द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हलका की साक्ष्य लेखबद्व नहीं करवायी है और ना ही पटवारी हलका साक्ष्य में उपस्थित हुआ है, पटवारी हलका ने रिपोर्ट किस तारीख व किसके सामने तैयार की, इसका का अंकन भी पटवारी हलका की रिपोर्ट में नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है उसके उपरांत भी उक्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उक्त सभी तथ्यों से निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय पेरोकार का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में इसी विवादित भूमि पर कब्जा किया था। सम्वत 2073 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय एवं बयान पटवारी हलका तथा पी–14 एवं गत वर्ष की मिसल से सिद्व है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.16 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का पन्द्राहेडा तहसील टोडारायसिंह ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2073 में ख0नं0 1060/1 रकबा 0.15 हेक्टर भूमि चरागाह वाके ग्राम रीण्डल्या रामपुरा पर मकान, बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.16 द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलाण्ट को पूर्व में किस ख.नं0 की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्व नहीं होता है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। निर्णय प्रिटेंट फोर्म में भरा गया है तथा उसमें कांट छाट भी की गई है अपीलाण्ट को जारी धारा 91 के नोटिस पर भी अपीलाण्ट की प्रोपर तामील नहीं कराकर अन्य की तामील करवाई गई है, जिससे यह जाहिर होता है कि सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 20.09.2016 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि निर्णय में अंकित बिन्दुओ को मध्य नजर रखते हुए अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रा0 पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0